आदेश दिनांक	आदेश या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज सिविल प्रकीर्ण (उ.अधि.) प्र.सं.08/2018 सरवण आदि विरूद्ध हरखास आम (CIS 08/2019)	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुआ
21.05.2026	अधिवक्ता पक्षकारान उपस्थित। इस आदेश द्वारा अयाची पक्ष की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 17 सपठित धारा 151 सि.प्र.सं. व याची पक्ष के प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सि.प्र.सं. का निस्तारण किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में उभय पक्ष की बहस श्रवण की गई। अयाची पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री प्रेम प्रकाश मक्कड़ ने दिनांक 7.3.2026 को **प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 17 सपठित धारा 151 सि.प्र.सं.** पेश कर अभिव्यक्त किया है कि याचिका प्रस्तुत करते समय हरखास व आम के लिए नोटिस की तामील हेतु अख़बार में साया करने के संबंध में अख़बार की प्रति पेश नहीं की है, इसलिए यह याचिका खारिज की जावे। याची पक्ष की ओर से लिखित जवाब पेश कर निवेदन किया गया है कि न्यायालय द्वारा दिनांक 31.1.2026 को अख़बार में हरआम व खास का नोटिस साया करने व अख़बार पेश करने का आदेश दिया गया था, जिसके बाद वादी सं.1 बीमार होने के कारण व प्रतिवादी सं.2 की मृत्यु होने के कारण अख़बार में साया नहीं करवा सका। चूँकि अब वादी सं.2 के पुत्रों द्वारा प्रार्थना पत्र पक्षकार बनने का पेश किया गया है, इसलिए अख़बार में साया करवाने हेतु तैयार है व साथ ही एक **प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सि.प्र.सं.** में यह पेश किया है कि उन्होनें अख़बार में साया करवाने की अनुमति दी जावे। वे पूर्व में ऐसा याची सं.1 के बीमार हो जाने के कारण नहीं करवा पाए थे। अयाची पक्ष की ओर से जवाब पेश कर निवेदन किया गया कि तामील का आदेश बंद होने के बाद पुनः अख़बार में साया करने का आदेश नहीं दिया जा सकता, केवलमात्र बीमारी का आधार उल्लेख किया गया है, जबकि प्रकरण लंबे समय से चल रहा है, इसलिए दावा स्वतः अबेट हो गया है। पक्षकथनों पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि हरखास व आम को पक्षकार तो बनाया गया है, लेकिन उसकी तामील के लिए अख़बार में नोटिस साया नहीं करवाया गया है। पर्याप्त अवसर दिए जाने के बाद उनका अवसर बंद किया गया था। यहां यह उल्लेख किया जाना उचित है कि यह एक प्रक्रियात्मक प्रावधान है तथा जिनके द्वारा याचिका को चुनौती दी गई है, वो पक्षकार बन चुके हैं। प्रक्रियात्मक दोष के लिए याचिका अबेट नहीं होती है। चूँकि प्रतिवाद करने वाले मौजूद हैं, ऐसी स्थिति में उक्त दोनों प्रार्थना पत्रों का निस्तारण इस अनुरूप किया जाता है कि याची पक्ष को अख़बार में हरखास व आम के नोटिस अख़बार में साया करवाने की अनुमति दी जाती है। याची पक्ष नियमानुसार हरख़ास व आम के तलबी नोटिस स्थानीय दैनिक समाचार पत्र अख़बार में साया करवाकर अख़बार की प्रति न्यायालय में पेश करे। आदेश सुनाया गया। पत्रावली वास्ते पेश होने अख़बार की प्रति हेतु दिनांक 04.07.2026 को पेश हो। **(रविन्द्र कुमार)**	